



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22122025-268739
CG-DL-E-22122025-268739

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 372]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 22, 2025/पौष 1, 1947

No. 372]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 22, 2025/PAUSHA 1, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली 19 दिसम्बर, 2025

सं. 40/2025-26

विषय: प्रक्रिया पुस्तिक, 2023 के परिशिष्ट 4 ख में संशोधन के संबंध में।

क्रा. सं. 01/94/180/261/एम18/पीसी-4.—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तिक, 2023 के परिशिष्ट 4ख के अंतर्गत भाग ख में निम्नानुसार संशोधन करते हैं:

ख) दिनांक 01.04.2025 से दिनांक 31.03.2026 तक वैध, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केवल सोना आयात करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत बैंकों की सूची।

क्रम संख्या	बैंक का नाम
1	इंडियन ओवरसीज बैंक
2	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
3	एसबीईआर बैंक*

(* - सिर्फ़ घरेलू उपयोग के लिए आयात अनुमत है, और यह 25.06.2025 से 31.03.2026 तक अधिकृत है)

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

प्रक्रिया पुस्तक, 2023 के परिशिष्ट 4ख के भाग ख के अन्तर्गत दिनांक 25.06.2025 से 31.03.2026 तक एसबीआईआर बैंक का नाम केवल सोना आयात करने के लिए अधिकृत बैंकों की सूची में शामिल किया गया है।

अजय भादू , पदेन अपर सचिव विदेश व्यापार एवं मानव संसाधन महानिदेशक

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 19th December, 2025

No. 40/2025-26

Subject: Amendment in Appendix 4B of Handbook of Procedures, 2023-reg.

F. No. 01/94/180/261/AM18/PC-4.—In exercise of the powers conferred under paragraph 1.03 & 2.04 of the Foreign Trade Policy (FTP), 2023, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in Part B under Appendix 4B of Handbook of Procedure, 2023:

B. LIST OF BANKS AUTHORISED BY RESERVE BANK OF INDIA TO IMPORT ONLY GOLD FOR FY 2025-26 WITH EFFECT FROM 01.04.2025 AND VALID UPTO 31.03.2026.

Sr. No.	Name of bank
1	Indian Overseas Bank
2	Union Bank of India
3	SBER Bank*

(* - Import allowed for domestic consumption only, and the authorisation is w.e.f. 25.06.2025 till 31.03.2026)

Effect of this Public Notice:

The name of SBER Bank has been included in the list of banks authorized to import only gold applicable w.e.f. 25.06.2025 till 31.03.2026 under Part B of Appendix 4B of Handbook of Procedures, 2023.

AJAY BHADOO, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.